101

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

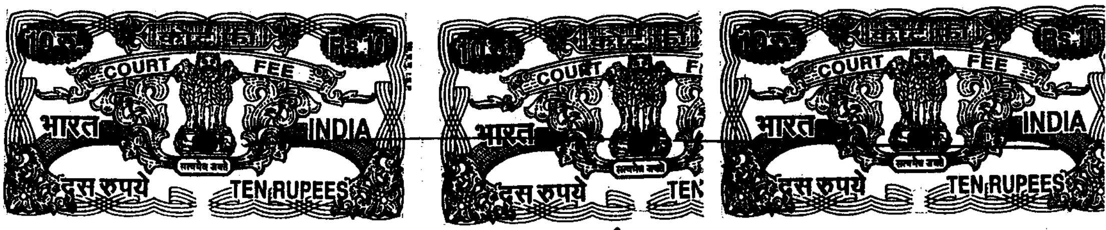

R5225-II/16

Rs.301—

बालकृष्ण पाठक तनय तीरथ प्रसाद पाठक, निवासी ग्राम—मौहार, तहसील व थाना—बहरी, जिला सीधी (म0प्र0)

.........**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम्

1— राजकुमार पाठक पिता श्री जगदीश प्रसाद पाठक

2— विद्यापति पाठक पिता श्री जगदीश प्रसाद पाठक

दोनों निवासी ग्राम मौहार, तहसील व थाना—बहरी, जिला— सीधी (म0प्र0)

......**गैर पुनरीक्षणकर्तागण**

श्री. तिवारी द्वारा आज दिनांक 16-5-16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील—बहरी, जिला सीधी के प्र0 क्र0 15/अ—74/2015—16 आदेश दिनॉक 21.03.16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा - 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता - 1959

मान्यवर,

पुंनरीक्षणकर्ता की तरफ से प्रस्तुत पुनरीक्षण के आधार निम्नानुसार है:—

1— यह कि पुनरीक्षणकर्ता ग्राम बेहरा पैपखार तहसील सिहावल, जिला सीधी (म0प्र0) में स्थित भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5225–दो/2016 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बहरी जिला सीधी के आदेश दिनांक 21–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन का आदेश दिया है। चूंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है इसलिए तहसीलदार के आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	